न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–104/2017 (2017/00104)223/पीसांगन

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलार, पीसांगन जिला अजमेर।
अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पत्नी रामलाल
2. पन्ना लाल पुत्र रामलाल
3. रणजीत पुत्र रामलाल
4. दिनेश पुत्र रामलाल
5. श्रीमती लाली पुत्री रामलाल
6. श्रीमती संतोष पुत्री रामलाल
7. श्रीमती सुशीला पुत्री रामलाल
8. श्रीमती सीता पुत्री रामलाल
9. अमर चन्द पुत्र कल्याण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015, वाद संख्या 04/2013

उपस्थितः–

1. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अधिवक्ता)अपीलांट की ओर से।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से ।
3. श्री एन.एस.राजावत एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02 एवं 4 से 9 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने वाद संख्या 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दौलतखेड़ा तहसील पीसांगन साबिक खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 429 रकबा 03–14–00 मे वादीगण के दादा हजारी पुत्र गंभीरा का 1/2 हिस्सा एवं कल्याण पुत्र प्रताप का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की रही हैं। हजारी पुत्र गंभीरा के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान वादीगण के पिता व पति रामलाल पुत्र हजारी के नाम 1/2 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 11.09.1998 से खातेदार दर्ज हुआ और रामलाल के निधन का होने से उक्त आराजी वादीगण के नाम एवं कल्याण मल के स्वर्गवास के पश्चात 1/2 हिस्सा श्रीमती नारायणी देवी के नाम नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 19.10.2001 से खातेदार दर्ज हुआ और श्रीमती नारायणी के निधन के पश्चात उसके दत्तक पुत्र अमर चन्द एवं उसके वर्तमान आधार भूत खसरा नम्बर 617 रकबा 0.33 है0 एवं खसरा नम्बर 617/1185 रकबा 0.27 है0 वादीगण के 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 के 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकन किया गया। किन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुए विवादित आराजी के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.33 है0 आराजी को सिवायचक अंकित कर दिया। अन्त में प्रार्थना की कि वाद पत्र को स्वीकार कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आधारभूत खसरा नम्बर 617 रकबा 0.33 है0 को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को पूर्व इन्द्राजात अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदार अंकित किये जाने की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को दिनांक 19.06.2015 को स्वीकार करने का निर्णय पारित किया । अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय दिनांक 19.06.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 4 से 9 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट (राजकीय अभिभाषक) ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, पीसांगन ने जो निर्णय दिनांक 19.06.2015 को पारित किया हैं वह कैम्प कोर्ट में निर्णित किया है जिससे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य व विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के विपरीत हैं। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 09 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की है तथा कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2015 की पालना कराने हेतु रेस्पोडेन्टस ने प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर जॉच करने पर विवादित आराजी वर्तमान रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के परिणामस्वरूप नियमानुसार जिला कलक्टर, अजमेर से विधिक राय/मार्ग दर्शन प्राप्त करने के निर्देशानुसार अपील करने के निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रकरण की सत्यापित प्रमाणित प्रति प्राप्त कर विधिक राय से अपील तैयार कर जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। न्यायहित में विलम्ब को सद्भाविक मानकर छूट प्रदान की जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय दिनांक 19.06.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष बहैसियत प्रतिवादी जवाब दावा दिनांक 04.07.2014 को प्रस्तुत कर वादीगण/ रेस्पोडेन्टस की आरे से प्रस्तुत राजस्व वाद में वर्णित अभिकथनों को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने योग्य से त्रुटि को स्वीकार कर दुरूस्ती किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित व प्रभावी पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा विवादित आराजी बाबत् अपने हक व हकूक सम्बन्धित सभी दस्तावेजात पेश किया हैं। केवल भू–प्रबन्ध विभाग की गलत इन्द्राज से खातेदार को उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। विवादित आराजी पूर्व में उनके पूर्वज के अधिकार की थी और वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बाजवूद भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम में देरी के संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किये हैं इसलिए अपील मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बिन्दु पर एवं अपील की मेरिट पर खारिज किया जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट

के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात अपील का निर्णय करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खाता संख्या 49 के साबिक खसरा नम्बर 429 रकबा 03–14–00 बीघा का 1/2 हिस्सा वादीगण के दादा श्री हजारी पुत्र गंभीरा एवं 1/2 हिस्सा कल्याण मल पुत्र प्रताप के खातेदारी में थी। उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 429 रकबा 03–14–00 बीघा के भू–प्रबन्ध की कार्यवाही पश्चात वर्कीग खसरा नम्बर 522 रकबा 03–14–00 बीघा कायम किये गये हैं। साबिक खाता संख्या 49 के साबिक खसरा नम्बर 429 रकबा 03–14–00 बीघा का 1/2 हिस्सा वादीगण के दादा श्री हजारी पुत्र गंभीरा एव 1/2 हिस्सा कल्याण मल पुत्र प्रताप के खातेदारी में होने बाबत् वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल एवं वर्किग जमाबंदी सम्वत 2041 प्रस्तुत की है जिससे प्रमाणित है कि साबिक खसरा नम्बर 429 से वर्किग खसरा नम्बर 522 बने तथा वर्किग खसरा नम्बर 522 के आधारभूत खसरा नम्बर 617 रकबा 0.33 है0 व 617/1185 रकबा 0.27 है0 कायम किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नायब तहसीलदार, पीसांगन द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 04.07.2014 में भी नायब तहसीलदार, पीसांगन ने यह माना है कि खसरा नम्बर 617 रकबा 0.33 है0 वर्किग जमाबंदी में एवं पूर्व में साबिक रेकार्ड में भी भूमि खातेदारी में दर्ज थीं तथा उक्त खसरा नम्बर वादीगणों के खातेदारी मे अंकन किया जाना उचित माना हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं। प्रस्तुत वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर